न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 247/2023 (24/2019)

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. श्रीमती दौली पत्नी देराराम जाट निवासी– मडापुरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा, जिला बालोतरा

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा प्रकरण संख्या 615/2016 अनवान तहसीलदार, पचपदरा बनाम श्रीमती दौली वगैराह में दिनांक 18.05.2017 को पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.सं.एक की ओर से।

निर्णय

दिनांक 30 जुलाई, 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक के द्वारा उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 130, 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हनुमान नाडी मंदिर से रूपला नाडा तक के ग्राम जैरला ख0सं0 213, 275, 905/256, 906/256, 253, 927/288, 252 की रकबा भूमि में से चले रहे रास्ते/सडक के रास्ता जो राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज नहीं है। अतः राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के क्रम में उक्त रास्ते की भूमि विप्रार्थीगणों की खातेदारी में रखते हुए राजस्व रेकर्ड में रास्ता तरमीम किये जाने हेतु निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 18.05.2017 को अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उल्लेखित खसरान भूमि का संलग्न नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित कर दिया। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.01.2019 को पेश की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में धारा 05 म्याद अधिनियम के तहत पेश

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रार्थना पत्र में यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है एवं उन्हें कोई सुनवाई का अवसर नोटिस नहीं दिया गया। पूर्व में अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। अपीलार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि ख0सं0 272, 273, 275, 278 के कुछ भाग के लिये अपने पुत्र के पक्ष में बक्शीशनामा करने हेतु जमाबन्दी की दिनांक 19.1.2019 को नकल ली तब उन्हें मालूम हुआ कि नामा0 संख्या 2242 जो कि न्यायिक आदेश के आधार पर भरा गया है तथा भूमि में रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित हो रखा है तब अधीनस्थ न्यायालय में जाकर दिनांक 23.1.2019 को नकले प्राप्त की, उक्त दिनांक को जानकारी होने से यह अपील पेश करने की कार्यवाही की गई है अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जावे तथा अपनी गुणवगुण पर निर्मित किया जावें। रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने बाबत विरोध प्रकट किया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र में प्रकट तथ्यों के आधार पर न्यायहित में अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार पचपदरा की ओर से पेश प्रार्थना पत्र में अंकित उक्त खसरान में ख0सं0 273, 275 व 278 की रकबा भूमि अपीलान्ट की खातेदारी की है। उक्त खसरान भूमि में से किसी रास्ते हेतु कोई मांग करते हुए किसी खातेदार ने कोई आवेदन नहीं किया था, मनमर्जी से प्रकरण बनाकर फैसला करने का उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा को कोई अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये, नोटिस दिये बिना ही उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया गया तथा उनकी खातेदारी भूमि में से रास्ते का आदेश पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि किसी खातेदार को इस तरह के आदेश के जरिये खातेदारी अधिकार समाप्त किये जा सकते है और न ही कृषि भूमि की किस्म बदली जा सकती है। ऐसे आदेशों से भविष्य में विवाद पैदा होगा। राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की रूह में राजस्व विभाग के उक्त परिपत्र को आधार मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है उस परिपत्र में ऐसी कोई मंशा नहीं है न ही ऐसे कोई निर्देश है। कोई भी परिपत्र कानून के मूल आधार से बाहर जाकर जारी नहीं किया

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

जा सकता है। रास्ता प्राप्त करने हेतु राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रावधान अलग से दिये हुए है। उक्त परिपत्र केवल सार्वजनिक रास्तों के मामले में लागू होता है। इसके अतिरिक्त उन निर्देशों की एवं निर्धारित प्रकिया की कोई पालना अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नहीं की गई है। इस आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपील अनुसार तहसीलदार के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपीलार्थी ने कोई अनुतोष नहीं चाहा है, इसलिये अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपीलार्थी की भूमि में से जो रास्ता घोषित किया है उसको निरस्त किया जावे।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि तहसीलदार पचपदरा के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि ग्राम जैरला के उल्लेखित खेत खसरान में सार्वजनिक स्थाई रास्ता चालू पाये जाने पर उक्त रास्ते का अंकन/तरमीम राजस्व रेकर्ड में किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो उचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है।

हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की ओर से की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार, पचपदरा के द्वारा उपरोक्त प्रकरण प्रस्तुत करने पर वादग्रस्त भूमि/प्रभावित खातेदारान को सुनवाई व अपना पक्ष रखे जाने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाना प्रकट होता है जबकि प्राकृतिक एवं नैसर्गिक के सिद्धान्त के अनुसार प्रभावित पक्षकार को उनके विरूद्ध किसी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व विधि अनुसार सुनवाई एवं अपना पक्ष रखे जाने का पर्याप्त अवसर दिया जाना आवश्यक है। इस स्थिति में प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के दृष्टिगत हमारी विनम्र राय में अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.2017 को अपीलान्ट के खेत खसरान संख्या 273, 275, 278 के रकबा भूमि की हद तक आंशिक निरस्त करते हुए प्रकरण में पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

18.05.2017 को अपीलान्ट के खेत खसरान संख्या 273, 275, 278 के रकबा भूमि की हद तक आंशिक निरस्त करते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त ऑब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए एवं अपीलान्ट के उल्लेखित खसरान भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट को अपना पक्ष रखे जाने तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात यदि अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः यथोचित आदेश पारित करें। कोई भी पक्ष उक्त रास्ते को बन्द नहीं करे। निर्णय आज दिनांक 30 जुलाई, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर